न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना के समक्ष ।

रोशन *लाल - याचिका*

बनाम

हरियाणा राज्य और *अन्य -उत्तरदाता*

सी०डब्ल्यू०पी० संख्या 14950 सन 2013

16 जुलाई,2013

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - रिट अधिकारिता - सेवा कानून -स्थानान्तरण - हरियाणा सरकार परिपत्र दिनांक 07.04.1989, 19.11.1998, 06.10.2003 और 06.10.2004 - सेवानिवृत्ति के एक/दो वर्ष के भीतर स्थानांतरण - पॉलिसी पंजाब सरकार की दिनांक 20.04.2005 को अधिसूचित पॉलिसी के समान नहीं - प्रतिकूल व्यवहार का मामला नहीं - स्थानांतरण प्राधिकारी के खिलाफ कोई दुर्भावना या पूर्वाग्रह आरोपित या कथित नहीं है - प्रतिस्पर्धी हितों को हल करने के लिए प्राधिकरण - सार्वजनिक पद को खाली नहीं छोड़ा जा सकता - स्थानांतरण दिशा-निर्देश गैर-सांविधिक और गैर-न्यायोचित लेकिन न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी - याचिका खारिज

यह अभिनिर्णीत किया गया कि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश गैर-सांविधिक हैं और प्रकृति में अनिवार्य नहीं हैं। वे बड़ी संख्या में कर्मचारियों के प्रतिस्पर्धी हितों को हल करने के लिए सरकार में अधिकारियों को स्थानांतरित करने के आत्मनिरीक्षण की प्रकृति में अधिक हैं और उनके लिए यह निर्धारित करने के लिए कि कौन सबसे अच्छा कहां फिट बैठता है। यदि यह कानून में दुर्भावना के बिना किया जाता है या वास्तव में न्यायालय की वास्तव में कोई भूमिका नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे कि राज्य के मामलों में सेवारत न्यायिक अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण के संबंध में उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा अपने प्रशासनिक पक्ष पर प्रयोग किए जाने वाले अधिकार और अधिकार क्षेत्र के मामले में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। कार्यपालिका और उच्च न्यायपालिका को तबादलों के मामले में समान दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी को यह विचार करने का अधिकार है कि क्या किसी कर्मचारी को सेवा की प्रशासनिक अनिवार्यताओं में स्थानांतरित किया जाना है या नहीं और अपने सामूहिक या व्यक्तिगत विवेक में यह निर्धारित करने का अधिकार है कि कौन कहां होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश केवल दिशानिर्देश हैं, जिनका नियंत्रण अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना है, लेकिन कोई बाध्यकारी बल नहीं है और न ही सामान्य अर्थों में कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं। वे अनम्य नियम नहीं हैं क्योंकि मानवीय मामलों और शासन में जोड़ों में पर्याप्त स्वतंत्र खेल छोड़ना पड़ता है ताकि राज्य मशीनरी गठिया

या नस्ल कॉकस और भ्रष्टाचार से ग्रस्त न हो जाए। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दंड से मुक्ति और स्थानांतरण के माध्यम से या हस्तांतरण के अधिकार के घोर दुरुपयोग के माध्यम से किए गए स्थानांतरण का उल्लंघन किया जा सकता है, तो यह न्यायालय एक दर्शक नहीं रहेगा। पद की प्रकृति, पदानुक्रम में इसकी स्थिति, चाहे इसमें सार्वजनिक व्यवहार शामिल हो, या यह है, जिसे अब दुर्भाग्य से 'लाभदायक' कहा जाता है, निश्चित रूप से न्यायालय के दिमाग में वजन होगा, भले ही कर्मचारी सेवानिवृत्ति से शर्मीला हो। यही वह जगह है जहां संवैधानिक न्यायालय किसी गलत को सही करने या कानून की भूमिका को लागू करने के लिए कदम उठा सकता है, जिसका भंडार न केवल कार्यपालिका या विधायिका के लिए बल्कि संविधान के तहत अपनी स्थापना या प्रशासनिक नियंत्रण पर काम करने वालों के लिए भी है।

(पैरा 9)

एस.एस. दीनारपुर, याचिकाकर्ता के वकील ।

न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना के समक्ष।

1) इस याचिका के द्वारा याचिकाकर्ता ने हरियाणा रोडवेज, कुरुक्षेत्र, महाप्रबंधक के कार्यालय से हरियाणा रोडवेज, नूह (मेवात) महाप्रबंधक के कार्यालय में स्थानांतरित करने के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता मुख्य निरीक्षक का पद धारण करता है। उन्होंने कहा कि वह 30.06.2014 को अधिवषता की आयु तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। चूंकि वह सेवानिवृत्ति के करीब है, इसलिए वह प्रार्थना करता है कि न्यायालय हरियाणा सरकार द्वारा 07.04.1989 के परिपत्र के माध्यम से जारी किए गए ट्रांसफर के दिशानिर्देशों और उसके बाद के दो अन्य दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए स्थानांतरण में हस्तक्षेप करे।

2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री एस.एस. दीनारपुर ने ***डॉ. देव प्रकाश चुघ बनाम पंजाब राज्य और अन्य***[1] में इस न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए बड़ी दृढ़ता के साथ तर्क दिया है कि एक बार जब राज्य नीति तैयार कर लेता है तो यह दलील नहीं दे सकता कि यह अनिवार्य नहीं है। सरकार केवल पर्याप्त कारणों को दर्ज करने के लिए या सर्वोपरि जनहित में नीति की शर्तों से विचलित हो सकती है और यदि कोई वैध और स्वीकार्य कारण दर्ज नहीं किया जाता है, तो स्थानांतरण आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है।

3) उपर्युक्त निर्णय को पढ़ने से पता चलता है कि न्यायालय 20.04.2005 को अधिसूचित पंजाब राज्य की स्थानांतरण नीति की व्याख्या कर रहा था। दिनांक 20.04.2005 की नीति का खंड 2 (बी) निम्नानुसार पढ़ता है: -

---

[1] 2005 (4) एससीटी 726

"सरकारी कर्मचारी, चाहे राजपत्रित हों या अराजपत्रित, जो अगले दो वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति तक उसी जिले या उसी तैनाती के उसी स्टेशन पर बने रहने की अनुमति दी जाए।

4) न्यायालय ने उक्त नीति के खंड 2 (जी) का भी उल्लेख किया समय पूर्व स्थानांतरण यानी किसी कर्मचारी के न्यूनतम तीन साल के प्रवास को पूरा करने से पहले उसके स्थानांतरण का आदेश सजा की दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर या स्पष्ट रूप से प्रशासनिक कारणों को स्पष्ट रूप से बताते हुए नहीं दिया जाना चाहिए।

5) पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए नीतिगत दिशानिर्देश पहले याचिकाकर्ता द्वारा 07.04.1989 (पी-2) पर भरोसा किया गया है। उक्त नीति दिशानिर्देशों का पैरा (iii) निम्नानुसार है: -

> *"किसी पद पर लगातार सेवा करने की अधिकतम अवधि सामान्य तौर पर जाइव वर्ष होगी। आईबीआईएस अधिकतम अवधि उन कर्मचारियों के संबंध में लागू नहीं होगी जो कॉलेजों, स्कूलों और प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हैं, जिनमें औद्योगिक/तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल हैं। पांच वर्ष की यह अधिकतम अवधि राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों तरह के सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगी जो अगले दो वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उन्हें सेवानिवृत्ति तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहने की अनुमति दी जा सकती है। "*

6) हरियाणा सरकार की स्थानांतरण नीति के दिशा-निर्देश पंजाब सरकार के दिशानिर्देशों के समान नहीं हैं। हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशों के पैरा (iii) में किसी पद पर निरंतर सेवा के लिए अधिकतम अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है। यह कोई न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं करता है। इस नीति में कुछ कर्मचारियों जैसे कॉलेजों, स्कूलों और प्रयोगशालाओं में कार्यरत कर्मचारियों को औद्योगिक/तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को दिशा-निर्देशों के दायरे से बाहर रखा गया है। उक्त पैरा में ही अगले दो वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों दोनों को पांच वर्ष की सेवा से छूट प्रदान की गई है और उन्हें सेवानिवृत्ति तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहने की अनुमति दी जा सकती है। दिनांक 07.04.1989 के नीतिगत दिशानिर्देशों को दिनांक 19.11.1998 और फिर 6.10.2003 के नीतिगत दिशानिर्देशों द्वारा प्रतिस्थापित या परिवर्तित किया गया है। इन दोनों नीति दिशानिर्देशों को अनुबंध पी-3 और पी-4 के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है। 1998 की नीति सेवानिवृत्ति से पहले की अवधि को दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर देती है। वर्ष 2004-2005 के लिए दिनांक 06.10.2004 की नीति श्रेणी III और श्रेणी IV दोनों सरकारी कर्मचारियों से संबंधित थी।

7) वर्तमान में, याचिकाकर्ता मुख्य निरीक्षक के एक बेहतर पद पर है और उसे नूह में एक रिक्त रिक्ति के खिलाफ स्थानांतरित कर दिया गया है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उस रिक्ति को भरे जिसके लिए पदधारी की पदोन्नति या एक

स्टेशन से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना आवश्यक होगा। पदों को खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि यह जनहित के विपरीत होगा। वर्तमान में भी बार-बार तबादलों में आसानी नहीं है जैसा कि ***डॉ. देव प्रकाश चुघ*** (सुप्रा) में हुआ था। यह ऐसा मामला भी नहीं है जहां किसी कर्मचारी को प्रतिकूल उपचार के लिए चुना गया हो। इसलिए, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्णय स्पेशल तथ्यों पर निर्भर है।

8) स्थानांतरण मामलों में हस्तक्षेप की गुंजाइश को सुप्रीम कोर्ट ने ***यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य*** **बनाम** ***एसएल अब्बास***[2] *और* ***मुख्य महाप्रबंधक (दूरसंचार) एन.ई. टेलीकॉम सर्कल और अन्य*** **बनाम** ***श्री राजेंद्र चौधरी भट्टाचार्य और अन्य***[3]***, सोमेश तिवारी*** **बनाम** ***भारत संघ और अन्य***[4] के मामले में स्पष्ट किया है।

9) याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे वर्ष 2008 में मुख्य निरीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया था और हो सकता है कि वह पहले ही एक स्टेशन पर इस पद पर 5 साल बिता चुका हो। यदि बीच में कोई तबादलों का सामना करना पड़ा तो याचिका में इसका खुलासा नहीं किया गया है। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 2008 से 08.07.2013 के आक्षेपित आदेश के पारित होने तक क्या हुआ। स्थानांतरण के कारण किसी के खिलाफ कोई दुर्भावना या पूर्वाग्रह नहीं लगाया गया है। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश गैर-सांविधिक हैं और अनिवार्य प्रकृति के नहीं हैं। वे बड़ी संख्या में कर्मचारियों के प्रतिस्पर्धी हितों को हल करने के लिए सरकार में अधिकारियों को स्थानांतरित करने के आत्मनिरीक्षण की प्रकृति में अधिक हैं और उनके लिए यह देखने के लिए कि कौन कहां सबसे अच्छा फिट बैठता है। यदि यह कानून में दुर्भावना के बिना किया जाता है या वास्तव में न्यायालय की वास्तव में कोई भूमिका नहीं है, ठीक उसी तरह जैसे कि राज्य के मामलों में सेवारत न्यायिक अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण के संबंध में उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा अपने प्रशासनिक पक्ष पर प्रयोग किए जाने वाले अधिकार और अधिकार क्षेत्र के मामले में कार्यपालिका की कोई भूमिका नहीं है। कार्यपालिका और उच्च न्यायपालिका को तबादलों के मामले में समान दूरी बनाए रखनी चाहिए। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी को यह विचार करने का अधिकार है कि क्या किसी कर्मचारी को सेवा की प्रशासनिक अनिवार्यताओं में स्थानांतरित किया जाना है या नहीं और अपने सामूहिक या व्यक्तिगत विवेक में यह निर्धारित करने का अधिकार है कि कौन कहां होना चाहिए। 'राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देश केवल दिशानिर्देश हैं, जिनका नियंत्रण अधिकारियों द्वारा पालन किया जाना है, लेकिन कोई बाध्यकारी बल नहीं है और न ही सामान्य अर्थों में कानूनी रूप से लागू करने योग्य हैं। वे अनम्य नियम नहीं हैं क्योंकि मानवीय मामलों और शासन में जोड़ों में पर्याप्त स्वतंत्र खेल होना चाहिए ताकि ऐसा न हो कि राज्य मशीनरी गठिया या नस्ल कॉकस और भ्रष्टाचार से ग्रस्त हो। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि दंड से मुक्ति और स्थानांतरण के माध्यम से या हस्तांतरण के अधिकार के घोर दुरुपयोग

---

[2] 1995(4) एससीटी 455

[3] 1995 (2) एससीटी 868

[4] (2009) 2 एससीसी 592

के माध्यम से किए गए स्थानांतरण का उल्लंघन किया जा सकता है, तो यह न्यायालय एक दर्शक नहीं रहेगा। 'पद की प्रकृति, पदानुक्रम में इसकी स्थिति, चाहे इसमें सार्वजनिक व्यवहार शामिल हो, या यह है, जिसे अब दुर्भाग्य से 'आकर्षक' कहा जाता है, निश्चित रूप से न्यायालय के दिमाग में वजन होगा, भले ही कर्मचारी सेवानिवृत्ति से शर्मीला हो। यही वह जगह है जहां संवैधानिक न्यायालय किसी गलत को सही करने या कानून के शासन को लागू करने के लिए कदम उठा सकता है, जिसका भंडार न केवल कार्यपालिका या विधायिका के लिए बल्कि संविधान के तहत अपनी स्थापना या प्रशासनिक नियंत्रण पर काम करने वालों के लिए भी है।

10) इस वाद में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप सेवा की शर्तों में कोई उल्लंघन या परिवर्तन नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि याचिकाकर्ता एक वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाता है और केवल इसी न्यायालय को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सभी तबादलों से किसी न किसी तरह से असुविधा होती है। स्थानांतरण का तंत्र ऐसा हैं जो हमेशा किसी न किसी को घर्षण और दिल की जलन का कारण बनते हैं जब तक कि यह कर्मचारियों की आपसी सहमति से न हो, जो कुछ और दूर के बीच आसान हैं। यह केवल पीड़ा की डिग्री और द्वेष के संदर्भ में परिणामी अपरिहार्य कठिनाई है कि न्यायालय को यह देखना होगा कि वास्तव में एक मानवीय समस्या क्या है, न कि हल करने के लिए एक जटिल फोरेंसिक विवाद।

11) इन कारणों से, मुझे इस याचिका में कोई असाधारण योग्यता नहीं मिलती है, जो याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के आक्षेपित आदेश में न्यायिक हस्तक्षेप के अलावा और कुछ नहीं हो सकती है।

12) तदनुसार याचिका को खारिज किया जाता है।

एस. गुप्ता

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

परीक्षित

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

महम, रोहतक,हरियाणा